उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-1
सं0-71/2018/सं0वि0क0नि0-1- 820/11-2018-136/2017
लखनऊः दिनांकः 22 मई, 2018

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर श्री वेदानन्द ओझा (ज्येष्ठता क्रमांक-1615) को उनके आसन्न कनिष्ठ श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (ज्येष्ठता क्रमांक-1623) की ज्वाइन्ट कमिश्नर के पद पर पदोन्नति की तिथि 01.01.2018 से ज्वाइन्ट कमिश्नर (वेतनमान रु0-15600-39100 ग्रेड पे रु0-7600/-) के पद पर नोशनल पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

2- 'नो वर्क नो पे' के सिद्धान्त के आधार पर नोशनल पदोन्नति अवधि का वेतन/एरियर देय नहीं होगा।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

संख्या-सं0वि0क0नि0-1-820(1)/11-2018, तद् दिनॉक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित अधिकारी को ज्वाइन्ट कमिश्नर के पद पर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करायें तथा कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संबंधित अधिकारी की तैनाती का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें।
3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे ज्वाइन्ट कमिश्नर के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुये अपनी योगदान आख्या कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ को प्रस्तुत करें।
5- कर एवं निबन्धन अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।